a constituent Assembly should be convened to form a new Constitution in the light of the experience gained during the last 22 years. The constituent Assembly should be elected by the persons who have attained the age of 18 years. But till then a committee should be constituted, because it is possible that after giving thought to this question the Committee may reach to the conclusion that a Resolution defining the powers of the governor may be passed by both the House without amending the constitution.

Firstly I want to say that this convention should be set up that in case after the elections no single party commands the majority in the State Legislative Assembly the Governor should administer in the oath to the leader of the largest single party or a combination of the parties as Chief Minister. The Chief Minister should get his policy and programme approved by the Legislative Assembly and then constitute his Ministry.

My second suggestion is that in the extent of a change in the leadership of ruling party, as has been recently in Madhya Pradesh, the Governor should immediately ask the new leader to form Government. He should not exercise his discretion in the matter.

My third suggestion is that no popular Government should be dismissed by the Governor, unless it is defeated in the Legislative Assembly.

My fourth suggestion is that the Governor as constitutional Head of the State should read the Address prepared by the Council of Ministers without making any alterations.

My fifth suggestion is that a list of persons suitable for appointment as Governors should be prepared and the State should be given the liberty of sending two or three names out of that list to the Centre for appointing any of them as Governor and the Centre should appoint one of those persons whose names have been recommended by the State, as the Governor of that State.

My sixth suggestion is that the Governor should not of his own, nominate any person to the Legislative Council. In the past the power of nomination has been misused as Shri Raja Gopalachari was nominated by Shri Shri Prakash to the Legislative Council in Madras.

My seventh suggestion is that economy should be effected in the expenditure on Governors. Wasteful expenditure should be checked.

As I do not have much time at my disposal, so I will finish my speech after making one more point. Our constitution has given certain responsibility to the Governors in regard to certain matters. Under Article 371 as special responsibility has been given to the Governor of Andhra Pradesh to ensure the implementations of the recommendations of the Regional Committees. But those recommendations had not been implemented.The Governor took no action in the matter because there was Congress Government in the State. So long as the Congress Government will continue to use the office of the Governor for furtherening party interest, that office will continue to be a matter of controversy.

I do not know whether a constituent Assembly will be convened or not as suggested by me, so I suggest that a Resolution giving directions to the Governors in regard to the performance of their duties should be passed by Lok Sabha and Rajya Sabha. Such a Resolution can be amended , through a simple majority, if necessary in the light of the experience gained and there will be no need to amend the constitution every time.

तेलंगाना के बारे में वक्तव्य

प्रधान मंत्री, अणुशक्ति मंत्री **तथा योजना** मंत्री **(श्रीमती** इन्दिरा गाँधी) : पिछले कुछ

सप्ताहों के दौरान मैंने आंध्र प्रदेश की वर्तमान स्थिति के बारे में सरकार से अपने साथियों, आन्ध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री संसद में विरोधी दलों के नेताओं, तेलंगाना तथा आंध्र प्रदेश के अन्य भागों से कुछ दलों के नेताओं से बातचीत की है।

2. बातचीत खुले वातावरण में की गई तथा तेलंगाना में रहने वाले लोगों की वास्तविक समस्याओं को हल करने के लिए रचनात्मक कार्यवाही करने के उद्देश्य से भी बातचीत की गई। हमें तुरन्त तथा ठोस हल ढूंढने के महत्व को ध्यान में रखना चाहिये जिससे तेलंगाना क्षेत्र के लोगों की अल्प तथा दीर्घावधि की आवश्यकताओं को तथा आन्ध्र प्रदेश की एकता को बनाये रखने तथा उसको सुदृढ़ करने के उद्देश्य की पुष्टि हो सके। हमारा ध्येय तेलंगाना क्षेत्र में विकास की गति को तेज करना तथा रोजगार के अवसरों को बढ़ाना है और सहकारिता तथा वहाँ के लोगों की सहायता से आन्ध्र प्रदश के सभी भागा का संतुलित विकास करने के लिए स्थिति उत्पन्न करना है।

3. इस उद्देश्य हेतु निम्नलिखित विशिष्ट उपाय करने का निर्णय किया गया है :—

(i) केन्द्रीय सरकार द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त तथा कार्यकारी न्यायाधीश के अध्यक्षता में एक उच्च शक्ति वाली समिति नियुक्त की जायेगी और इसमें राज्य के वित्त की जानकारी रखने वाले एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री और नियंत्रक तथा महालेखापाल के एक वरिष्ठ प्रतिनिधि की इस समिति का सदस्य नियुक्त किया जावेगा।

समिति विभिन्न प्राक्कलनों तथा अभ्यावेदनों की जाँच करेगी तथा इस बात का पता लगायेगी कि तेलंगाना क्षेत्र के विकास के लिए और कितनी धनराशि व्यय की जानी चाहिए थी। समिति अगले महीने के अन्त तक अपना प्रतिवेदन केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत कर देगी।

(ii) केन्द्रीय सरकार के वित्त तथा गृह-कार्य मंत्रालयों योजना आयोग और राज्य सरकार के बीच तेलंगाना के विकास हेतु अपेक्षित वित्त जुटाने के लिए तुरन्त बातचीत होगी।

(iii) मुख्य मंत्री के सुझाव पर एक उच्च शक्तिशाली तेलंगाना विकास समिति तुरन्त बनाने के लिए सहमति हो गई है जिसके अध्यक्ष आंध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री होंगे और इसमें योजना आयोग का एक सदस्य तथा तेलंगाना क्षेत्र के आंध्र मन्त्रिमण्डल के मंत्री तथा तेलंगाना सम्बन्धी प्रादेशिक समिति के अध्यक्ष इसके सदस्य होंगे।

समिति के मुख्य कार्य पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत भौतिक तथा वित्तीय लक्ष्यों की प्राप्ति के संदर्भ में तेलंगाना क्षेत्र के लिए कार्यक्रम तथा योजनाएँ बनाना है और इन कार्यक्रमों तथा योजनाओं की वास्तविक क्रियान्विति का समय-समय पर पुनर्विलोकन करना है और उचित समझे जाने वाले निर्णयों के बारे में राज्य सरकार को परामर्श देना है।

(iv) योजना आयोग के परामर्शदाता की अध्यक्षता में सरकारी स्तर पर एक योजना

कार्यान्वयन समिति बनाई जायेगी जिसमें केन्द्रीय वित्त तथा गृह-कार्य मंत्रालय और राज्य सरकार के प्रतिनिधि सदस्य होंगे ताकि तेलंगाना क्षेत्र के तेज विकास सम्बन्धी योजना कार्यक्रमों तथा योजनाओं की वास्तविक क्रियान्विति का समय-समय पर पुनर्विलोकन किया जा सके।

समिति की बैठक तीन महीने के पश्चात् हुआ करेगी और यह मुख्यमंत्री तथा प्रधानमंत्री को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी।

(v) पर्याप्त समन्वय को सुनिश्चित करने तथा निर्णयों को प्रभावशाली ढङ्ग से तथा तेजी से क्रियान्वित करने के लिए मुख्य मंत्री इस बात पर विचार करेंगे कि तेलंगाना क्षेत्र की समस्याओं से निपटने का काम जिन प्राधिकारियों को सौंपा गया है उनको यदि आवश्यक हो तो और क्या शक्तियाँ दी जायें।

(vi) तेलंगाना क्षेत्र के लोगों को और रोजगार के अवसर देने के लिए संविधिक सुरक्षोपाय देने के मामले पर भारत सरकार विधिवेताओं से परामर्श करेगी।

(vii) मुख्य मंत्री के सुझाव पर इस बात पर भी सहमति हो गई है कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत जो केन्द्रीय परामर्शदात्री समिति नियुक्त की गई थी (जिसके अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग के चेयरमैन हैं और जिसके सदस्य उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश तथा केन्द्रीय सरकार के सेवा निवृत्त विधि सचिव हैं) शीघ्र ही हैदराबाद का दौरा करेगी ताकि विभिन्न वर्गों के सरकारी कर्मचारियों की शिकायतों का पता लगाया जा सके और वह समिति केन्द्रीय गृह-कार्य मंत्रालय को उचित सिफारिशें की जा सकें।

सेवाओं के समेकन के बारे में निलम्बित किसी मामले पर निर्णय करने के उद्देश्य से केन्द्रीय गृह-कार्य मंत्रालय तिश्चित समय के अन्तर्गत एक अविलम्ब कार्यक्रम तैयार करेगी।

मुख्य मंत्री ने आश्वासन दिया है कि केन्द्रीय परामर्शदात्री समिति अथवा राज्य परामर्शदात्री समिति द्वारा किये गये परामर्श के प्रकाश में भारत सरकार द्वारा दिये गये किसी भी निर्णय को राज्य सरकार तुरन्त क्रियान्वित करेगी।

(viii) तेलंगाना क्षेत्र की ओर केन्द्रीय सरकार निरन्तर ध्यान बनाये रखने के लिए मुख्य मंत्री के सुझाव पर इस बात पर सहमति हो गई है कि प्रधान मंत्री उपर्युक्त उच्च शक्तिशाली तेलंगाना विकास समिति के सदस्यों तथा मुख्य मंत्री से प्रत्येक छः महीने के पश्चात् बैठक करेंगी। इन बैठकों में उप-प्रधान मंत्री, केन्द्रीय गृह-कार्य मंत्री, योजना आयोग के उप-अध्यक्ष, तथा केन्द्रीय सरकार के ऐसे मंत्री भी शामिल किये जायेंगे, जिनकी उपस्थिति आवश्यक समझी जायेगी।

4. तेलंगाना क्षेत्र के तेजी से विकास तथा समूचे राज्य के संतुलित आर्थिक विकास के लक्ष्यों

को शान्ति के वातावरण में ही नहीं बल्कि मित्रता तथा राज्य के विभिन्न भागों में रहने वाले लोगों के सहयोग तथा सूझबूझ से ही प्राप्त किया जा सकता है। मुख्य मंत्री ने मेरे साथ अपनी वार्ता के दौरान इन लक्ष्यों की पूर्ति के लिए राजनैतिक प्रबन्ध करने की इच्छा व्यक्त की थी।

5. विभिन्न वार्ताओं के दौरान आन्ध्र प्रदेश में शक्ति और परस्पर मेल-जोल का वातावरण स्थापित करने के महत्व को स्वीकार किया गया। मैं इस अवसर पर तेलंगाना के लोगों से वर्तमान आन्दोलन को समाप्त करने की और इन वार्ताओं के फलस्वरूप ढूंढे गये विभिन्न ठोस उपायों तथा इसके पश्चात् किए जाने वाले उपायों को पूरा करने में उनका पूरा सहयोग देने की भी उनसे अपील करती हूँ। इस उद्देश्य हेतु आन्ध्र प्रदेश के विभिन्न मतों के वर्गों के साथ-साथ आगे बातचीत जारी रखी जावेगी।

6. मैं तेलंगाना तथा आन्ध्र प्रदेश के अन्य भागों के लोगों को आश्वासन देती हूँ कि केन्द्रीय सरकार अच्छी वास्तविक समस्याओं की ओर निरन्तर तथा सहानुभूति पूर्वक ध्यान देती रहेगी।

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : Please allow us to express our views for one minute on this statement.

श्री नाथपाई (राजापुर) : यह एक महत्वपुर्ण विषय है; अतः इस वक्तव्य पर हमें अपने विचार व्यक्त करने का अवसर दिया जावे।

अध्यक्ष महोदय : इस पर तुरन्त चर्चा की अनुमति नहीं दी जा सकती। बाद में मैं अनुमति दूंगा।

श्री हेम बरुआ : 1956 में इस बारे में एक मौखिक करार हुआ था। जब वहाँ के मुख्यमन्त्री थे तो आप ने तेलंगाना से उप मुख्य मन्त्री नहीं लिया था।

---

10 अप्रैल 1969 को पश्चिम बंगाल में हुई हड़ताल के बारे में वक्तव्य
STATEMENT RE. STRIKE IN WEST BENGAL ON 10TH APRIL, 1969

गृह-कार्य मन्त्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : सरकार के पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार.....

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। बाहर सूचनाफलक पर यह लिखा हुआ था कि गृह-कार्य मन्त्री आज 6'15 बजे बंगाल के बारे में वक्तव्य देंगे। हम नहीं जानते यह किस बारे में है। पश्चिम बंगाल में इस समय लोगों द्वारा चुनी गई सरकार काम कर रही है। अतः मुझे आश्चर्य है कि गृह कार्य मन्त्री ने पश्चिम बंगाल की स्थिति के बारे में वक्तव्य देने के लिए यह अवसर चुना है।

क्या बंगाल में कोई बाढ़ आई है ?

श्री ज्योतिर्मय वसु (डायमंड हार्बर) : इसमें बहुत गलतफहमी उत्पन्न होगी। यह एक राज्य का विषय है केन्द्रीय सरकार इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती।